REPORT ON INDIAN PARLIAMENTARY PARTICIPATION AT INTERNATIONAL CONFERENCE

SECRETARY-GENERAL: Sir, I lay on the Table, a copy (in English and Hindi) of the Report on the participation of the Indian Parliamentary Delegation at the One hundred and Twentieth Assembly of the Inter-Parliamentary Union (IPU) held in Addis Ababa (Ethiopia) from 5th to 10th April, 2009.

STATEMENTS BY MINISTERS

Status of implementation of recommendations contained in the thirtieth and Thirty-first Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Defence

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI A.K. ANTONY): Sir, I make a statement regarding status of implementation of recommendations contained in the Thirtieth and Thirty-first Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Defence.

Status of implementation of recommendations contained in the Thirty-third and Thirty-Fifth reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Labour

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRIMATI PANABAKA LAKSHMI): Sir, I make statements regarding status of implementation of recommendations contained in the Thirty-third and Thirty-fifth Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Labour.

MATTERS RAISED WITH PERMISSION

Plight of cycle rickshaw pullers in cities

श्री अली अनवर अंसारी (बिहार) : उपसभापति महोदय, सन् 1870 ईस्वी में जापान में रिक्शा का आविष्कार हुआ था। उसके करीब 60 साल बाद ढाका तथा हिन्दुस्तान में कोलकाता जैसे शहर व अन्य शहरों में हाथ रिक्शा व साइकिल रिक्शा पहुंचा। तब से लेकर आज तक पूरे मुल्क में लाखों करोड़ों लोग रिक्शा चलाकर अपना जीवन बसर करते हैं। हुजूर, आप जानते हैं कि जब रोज़ी-रोटी के लिए तमाम दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब इंसान रिक्शा चलाने के लिए मज़बूर होता है। यह रिक्शा चालन पॉलूशन फ्री है, इससे हलाल की कमाई होती है तथा लोग अपनी मेहनत से रिक्शा चलाते हैं, लेकिन सरकारों की नीतियां कुछ ऐसी हो गई हैं कि विकास की एक अंधी दौड़ चल रही है। सड़कें चौड़ी हो रही हैं तथा बड़े-बड़े Highways बन रहे हैं, लेकिन आप रिक्शा चालकों के लिए सड़कों का कोई प्रावधान नहीं कर रहे हैं। आज जगह-जगह रिक्शा चालन पर बैन लगा रहा है। रिक्शा चालकों पर पुलिस डंडा चलाती है और कहती है कि इस रास्ते पर रिक्शा चलाना मना है, इस शहर में रिक्शा चलाना मना है। सर, दिल्ली में भी ऐसा हो रहा है और कोलकाता जैसे शहार में भी ऐसा हो रहा है। मैं पिछले सप्ताह कोलकाता में था, वहां के रिक्शा तथा साइकिल रिक्शा चलाने वालों का कहना है कि उनके लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं हो रहा है। वहां की विधान सभा ने एक बिल पास करके हाथ से चलने वाले रिक्शा को बैन कर दिया है। हुजूर, हमारा यह कहना है कि

जो अमीर लोग सड़क पर गाड़ियों में चलते हैं, यह सड़क केवल उन्हीं के लिए नहीं है, यह देश केवल उन्हीं का नहीं है। जो मेहनत से कमाई करने वाले लोग हैं, हमारे संविधान ने उनको livelihood का अधिकार दिया है, mobility का अधिकार दिया है, फिर आप किस कानून के तहत इन रिक्शा वालों को उनकी रोज़ी-रोटी से मेहरूम कर रहे हैं? उनके लिए किसी रोजगार का इंतजाम किए बिना, उनका कोई पुनर्स्थापन किए बिना आप उन्हें इस तरह से क्यों रोक रहे हैं? यह सब जगह हो रहा है। हम लोग रास्ते पर चलते हुए देखते हैं कि एक साधारण सिपाही तुरंत डंडा लगा देता है, उनको डंडे से पीटने लगता है, कहता है कि इससे सड़क जाम हो रही है। एक परिवार में हर मैम्बर के पास गाड़ियां हैं। वे गाड़ियों से चलते हैं, सड़कें उनसे जाम हो रही हैं। छोटे से रिक्शे सट-सटकर आपस में चलते हैं। एक रिक्शे पर चार आदमी, आठ आदमी, बैठते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, सामान भी ढोते हैं, लेकिन आप देखते होंगे कि एक गाड़ी में एक आदमी, दो आदमी चलते हैं, उसकी लंबाई और चौड़ाई को देख लीजिए, उसके अगल-बगल जाने वाले रास्ते को देख लीजिए। प्रतिबंध जाम पर लगना चाहिए, पॉल्युशन पर प्रतिबंध लगना चाहिए। एक परिवार में जो लोग एक से अधिक गाड़ियां रखते हैं, उन पर प्रतिबंध लगना चाहिए, लेकिन ये खुद्दार लोग, खटकर खाने वाले लोग ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : हो गया है।

श्री अली अनवर अंसारी : ये मेहनत करने वाले लोग, इन पर प्रतिबंध लगाना कहीं से भी उचित नहीं है।

डा. (श्रीमती) नजमा ए. हेपतुल्ला (राजस्थान) : उपसभापति जी, मैं स्वयं को इससे संबद्ध करती हूं।

श्री शांता कुमार (हिमाचल प्रदेश) : उपसभापति जी, मैं स्वयं को इससे संबद्ध करता हूं।

Clearance of relief material sent by the Indian Red Cross Society from Colombo port

DR. V. MAITREYAN (Tamil Nadu): Sir, last week, during Question Hour, on 23rd July, 2009, the first question raised by Shri Shreegopal Vyas was on the camps of Tamil victims in Sri Lanka, The Government admitted that the total number of Eelam Tamil refugees in the camps was 2,87,970. The Government also said that the Government and the High Commission were monitoring the situation and providing extensive humanitarian assistance to the IDPs in relief camps.

Sir, disturbed, perturbed and concerned about the plight of Tamils in Eelam, the Tamil diaspora, particularly from the West, sent 840 tonnes of relief material in 27 containers by the ship, M.V. Captain Ali. The Sri Lankan Government disallowed the ship saying that it was carrying cargo sent by the LTTE for propaganda. The ship was stationed near Chennai for days. There was hue and cry from the people of Tamil Nadu. Finally, the Government of India saw to it that Sri Lanka accepted it. The containers were unloaded in Chennai; the Indian Red Cross took charge of it and shipped it to Colombo by M.V. Captain Colorado. The cargo reached Colombo on 9th July. But because of the tussle between the Sri Lankan Red Cross and the Indian Red Cross over port charges and transportation charges, the relief materials lie in the Colombo Port since July 9. The Indian Government has washed its hands off saying that it got the materials shipped to Colombo. The Sri Lankan Government publicised the humanitarian face of it by allowing it to come to Colombo and did nothing after that. But the relief materials have not reached the refugees for whom they were intended. It is not a simple relief material, Sir. A lot of emotions from the umbilical-cord relations are